रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 180] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 1970/आश्विन 27, 1892
No. 180] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 1970/ASVINA 27, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October 1970

G.S.R. 1800.—*Sugar Export.*—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by Section 5 of the said Act shall be exercisable also by the Deputy Director (Accounts), Directorate of Sugar and Vanaspati, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food).

[No. F. 1-1/70-ES.]

S. TALWAR, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1970

सा० का० नि० 1800.—चीनी निर्यात.—चीनी निर्यात अभिवर्धन अधिनियम, 1958 (1958 का 30) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियां उपनिदेशक (लेखा) शर्करा एवं वनस्पति निदेशालय खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

[सं० एफ 1-1/70-ई एस.]

आर० एस० तलवार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970